106

213

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सर्किट कोर्ट रीवा)

R5252-II/15 Rs.301-

रामबहोर पिता नथई अहिर साकिन कुण्दवार तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

...............आवेदक

बनाम

1. सुखलाल काछी पिता नवल काछी निवासी कुन्दवार तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)
2. म.प्र. शासन

.................अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक मण्डल सरौधा तहसील देवसर जिला सिंगरौली के प्र. क्र. 16/अ. 12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2015

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य

यह कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार देवसर वृत्त सरौधा के न्यायालय में भूमि क्रमांक 523/2 रकवा 2.00 हे. के सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना विधिवत सीमांकन की कार्यवाही किये व बिना सरहदी व हिततध्य व्यक्ति आवेदक को सूचना दिये ही मनमानी रूप से आवेदक के पीठ पीछे सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसकी पुष्टि दिनांक 28.06.2015 को की गई जिसकी जानकारी होने पर यह निगरानी श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हे।

निगरानी के आधार निम्न है:–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.5252–II/2015 जिला–सिंगरौली

रामबहोर अहिर/सुखलाल काछी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल सरौधा तहसील देवसर प्रकरण क्रमांक 16/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	